

पर्चा डिक्री
यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

न संख्या -409/2024

न :
जसवंतसिंह पुत्र सुल्तानराम जाति छीपां (छीपी) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 रतिसराम पुत्र सुल्तान राम जाति छीपां (छीपी) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
- 2 फूलाराम पुत्र सुल्तान राम जाति छीपां (छीपी) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
- 3 सावित्री पत्नी सुल्तानराम जाति छीपां (छीपी) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
- 4 सरस्वती पुत्री सुल्तानराम पत्नी रामकुमार जाति छीपां निवासी नानूआना तहसील
रानिया जिला सिरसा हरि०।
- 5 सुनील कुमार पुत्र सरवन कुमार जाति छीपां निवासी वार्ड नं० 14, सुरतगढ़ तहसील
सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 6 पारूल छिम्या पत्नी विनोद कुमार जाति छिम्या निवासी 9 यूटीएस उमेवाला तहसील
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955
उपरिस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग
2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:-वादी

:-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 11/2/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम
निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की
सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया

1 एवं
लेखनीकर घोषणा की जाती है कि

क.वादी जसवंत सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 9 डीवीएल के प०न० 194/354 मु०
15 किलानं० 11/2/.140 है० उतरी दिशा, 12/.155 है० उतरी दिशा, 13/253 है०
कुल 0.548 है०


ख.प्रतिवादीसं० 1 रतिराम को प्राप्त आराजी:- चक नं० 9 डीवीएल के प०न० 194/354 मु० 15 किलानं० 11/2/.087 है० दक्षिणी दिशा, 12/.098 दक्षिणी दिशा, 19/.192 है० उत्तरी दिशा, 20/.171 है० उत्तरी दिशा कुल 0.548 है०

ग.प्रतिवादी सं० 2 फूलाराम को प्राप्त आराजी:-चक नं० 9 डीवीएल के प०न० 194/354 मु० 15 किलानं० 19/.061 है० दक्षिण दिशा, 20/.056 है० दक्षिण दिशा, 21/2/.202 है०, 22/2/.228 है० कुल 0.547 है०

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 9 डीवीएल के खातासं० 38/28 में से भागीरथ का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सचिव न्यायालय टिब्बी)
उपस्थित अधिकारी (सेजिस्व)
एवं सहायक क्लर्क
टिब्बी